न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः– अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः–**03/23** राजस्व(अपील)

जी.सी.एम.एस. नंबरः– 2023/3

1. भीमजी पिता श्री मोती डांगी निवासीः मनवाखेड़ा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

————अपीलाण्ट

बनाम

1. शिवलाल पिता श्री कन्ना उर्फ किशनलाल डांगी निवासीः मनवाखेड़ा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
2. श्रीमती गंगाबाई पुत्री श्री कन्ना उर्फ किशनलाल डांगी निवासीः मनवाखेड़ा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
3. श्रीमती डाकूबाई पुत्री श्री कन्ना उर्फ किशनलाल डांगी निवासीः मनवाखेड़ा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
4. श्रीमती रामुबाई पुत्री श्री कन्ना उर्फ किशनलाल डांगी निवासीः मनवाखेड़ा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
5. अजीत कुमार जैन (गंगावत) पिता श्री भंवरलाल जैन निवासीः 267ए चाणक्यपुरी, गुरूनानक स्कूल के पास, हिरणमगरी, सेक्टर–4, उदयपुर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपूर

..... **रेस्पोडेंटगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार गिर्वा, जिला–उदयपुर नामान्तरकरण संख्या 115 दिनांक 19.10.1989

उपस्थितः– 1. श्री कैलाश नागदा अधिवक्ता अपीलाण्टगण
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4

निर्णय

दिनांक–21-10-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार गिर्वा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 115 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंटगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के मौजा मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा में आराजी संख्या 271 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 272 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 283 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 284 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, आराजी संख्या 285 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 293 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, आराजी संख्या 294 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 295 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। वादग्रस्त आराजीयात के मूल पुरूष नन्दा जी थे जिनके दो लड़के मोती और जग्गा हुये इस प्रकार नन्दा जी के मरने के बाद विरासत में 1/2 हिस्सा मोती का हुआ तथा 1/2 हिस्सा जग्गा का हुआ तथा मोती के मरने के बाद विरासत का उनका हिस्सा उनके तीनों लड़को गणेशलाल, किशनलाल और भीमजी के नाम दर्ज हुआ यानि की प्रत्येक लड़के का 1/6 हिस्सा विरासत से प्राप्त हुआ तथा जग्गा के मरने के बाद जग्गा का

जिला कलक्टर
उदयपुर

1/2 हिस्सा विरासत से उसके तीन पुत्रों गांगा, केवला, लालु को प्राप्त हुआ यानि की प्रत्येक पुत्र को 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ। अपीलाण्टगण जग्गा के 1/2 हिस्से बाबत् कोई विवाद नहीं है न इस हिस्से में अपीलाण्टगण कोई क्लेम कर रहे है। मोती के तीन लड़को में से गणेश की भी मृत्यु हो चुकी है गणेश ने अपना हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 5 को विक्रय कर दिया। मोती के एक लड़का किशनलाल हुआ जिसकी भी मृत्यु मोती(अपने पिता) से पहले हो चुकी है तथा मोती का एक लड़का भीम जी हुआ जो जीवित है जो अपीलाण्ट है। मोती के मरने के बाद विरासत से मोती के प्रत्येक लड़के का 1/6 हिस्सा खाते में दर्ज होना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से अपीलाण्ट एवं गणेशलाल के नाम 1/8 – 1/8 दर्ज कर दिया है जबकि 1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था तथा किशनलाल के मृत्यु होने के पश्चात् विरासत से नामान्तरकरण शिवलाल एवं जेतीबाई प्रत्येक के नाम पर 1/12 – 1/12 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जबकि उनके नाम पर भी 1/8 –1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। किशनलाल की पत्नी जेतीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसका नामांतरकरण विरासत से अभी नहीं खुला है जेतीबाई के वारिसों में उसका पुत्र शिवलाल एवं तीन लड़किया है जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 को कई बार इन्द्राज दुरस्ती करने को कहा लेकिन वह आजकल करते हुये टालमटोली करते रहे, अन्ततः मना कर दिया। मौजा मनवाखेडा की संवत् 2042 की जमाबंदी में अपीलाण्टस् के दादा मोती जी का 1/2 हिस्सा लिखा हुआ है तथा गांगा, गोकुल, लालु का 1/2 हिस्सा लिखा हुआ है, लेकिन इस दौरान मोती की मृत्यु हो जाती है तो विरासत से नामांतरकरण संख्या 115 खोला गया वह त्रुटिपूर्ण खोला गया है। उपरोक्त आराजीयात में अपीलाण्ट का 1/6 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के पिता का 1/6 हिस्सा एवं गणेशलाल का 1/6 हिस्सा बनता है। नामांतरकरण संख्या 115 के गलत इन्द्राज के आधार पर मृतक किशनलाल के दोनो वारिसो शिवलाल एवं जेतीबाई के नाम पर जो 1/8 – 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ है लेकिन हाल ही में जेतीबाई की मृत्यु हो चुकी है उसके विरासत का नामांतरकरण अभी तक नहीं खुला है। अपीलाण्ट को हाल ही में गणेशलाल के वारिसों द्वारा माननीय जिला कलक्टर, उदयपुर में नामांतरकरण संख्या 115 की अपील प्रस्तुत की जिसमें मुझ अपीलाण्ट को रेस्पोडेंट संख्या 5 बनाया गया है। उक्त अपील का सम्मन अपीलाण्ट को प्राप्त होने पर एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा बंटवाड़ा का वाद उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के यहां प्रस्तुत किया जिसका सम्मन अपीलाण्ट को प्राप्त हुआ। जिसके बाद दिनांक 13.12.2022 को नकल निकलवाई जिसके बाद जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी। वैसे भी गलत तथ्यों के आधार पर खोले गये नामांतरकरण की कोई मयाद नहीं होती है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामांतरकरण संख्या 115 को निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतरकरण एवं जमाबंदी में हुयी त्रुटि को सुधारा जावें

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विक्षणीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पोडेंट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

जिला कलक्टर
उदयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंटगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के मौजा मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा में आराजी संख्या 271 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 272 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 283 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 284 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, आराजी संख्या 285 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 293 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, आराजी संख्या 294 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 295 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। वादग्रस्त आराजीयात के मूल पुरूष नन्दा जी थे जिनके दो लड़के मोती और जग्गा हुये इस प्रकार नन्दा जी के मरने के बाद विरासत में 1/2 हिस्सा मोती का हुआ तथा 1/2 हिस्सा जग्गा का हुआ तथा मोती के मरने के बाद विरासत का उनका हिस्सा उनके तीनों लड़को गणेशलाल, किशनलाल और भीमजी के नाम दर्ज हुआ यानि की प्रत्येक लड़के का 1/6 हिस्सा विरासत से प्राप्त हुआ तथा जग्गा के मरने के बाद जग्गा का 1/2 हिस्सा विरासत से उसके तीन पुत्रों गांगा, केवला, लालु को प्राप्त हुआ यानि की प्रत्येक पुत्र को 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ।

विरासत से नामांतरकरण संख्या 115 खोला गया वह त्रुटिपूर्ण खोला गया है। उपरोक्त आराजीयात में अपीलाण्ट का 1/6 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के पिता का 1/6 हिस्सा एवं गणेशलाल का 1/6 हिस्सा बनता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने इस त्रुटि का फायदा उठाते हुए कई सारी जमीने विक्रय कर दी, लेकिन जो जमीने विक्रय कर दी है उनके बारे में अपीलाण्टस् अलग से कार्यवाही करेंगे। इस अपील में केवल मात्र वर्तमान मे जो जमीन है उसके बारे में अपील प्रस्तुत की जा रही है। नामांतरकरण संख्या 115 के गलत इन्द्राज के आधार पर मृतक किशनलाल के दोनो वारिसों शिवलाल एवं जेतीबाई के नाम पर जो 1/8 – 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ है लेकिन हाल ही में जेतीबाई की मृत्यु हो चुकी है, उसके विरासत का नामांतरकरण अभी तक नहीं खुला है। अपीलाण्ट को हाल ही में गणेशलाल के वारिसों द्वारा माननीय जिला कलक्टर, उदयपुर में नामांतरकरण संख्या 115 की अपील प्रस्तुत की जिसमें मुझ अपीलाण्ट को रेस्पोडेंट संख्या 5 बनाया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामांतरकरण संख्या 115 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा निवेदन किया गया कि विरासत के आधार पर खोले गये नामांतरकरण संख्या 115 में यदि उत्तराधिकार के आधार पर राजस्व रेकर्ड में कोई त्रुटि प्रतीत होती है एवं अपीलाण्ट का हक हिस्सा प्रभावित होता है एवं उक्त अपील आप न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है। उक्त अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 115 सहवन से हम रेस्पोडेंट शिवलाल एवं जेतीबाई के नाम पर 1/8 – 1/8 हिस्सा ~~खुला~~ खोला गया जबकि वास्तविकता में शिवलाल एवं जेतीबाई का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा खुलना चाहिए था। उक्त नामांतरकरण जो तहसीलदार गिर्वा द्वारा खोला गया है उसको निरस्त कर अपीलाण्टगण का हिस्सा दुरूस्त किया जाता है तो रेस्पोडेंटगण को कोई उजर–ऐतराज नहीं है।

जिला कलक्टर
उदयपुर

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में प्रस्तुत सजरा अनुसार एवं नामांतरकरण संख्या 115 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मोती की मृत्यु के बाद, उसके तीन पुत्र गणेशलाल, किशनलाल और भीमजी है। मोती के पुत्र किशनलाल की मृत्यु अपने पिता मोती की मृत्यु से पहले हो चुकी थी। नामांतरकरण संख्या 115 में किशनलाल के वारिसान शिवलाल एवं जेतीबाई कायम किये गये। नामांतरकरण संख्या 115 से मोती के 1/2 हिस्से में तीनो पुत्रों गणेशलाल, किशनलाल एवं भीमजी के 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिए, पश्चातवर्ती किशनलाल के 1/6 हिस्से में से वारिसान शिवलाल व जेतीबाई का 1/12–1/12 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। नामांतरकरण संख्या 115 में दर्ज मोती के वारिसान कायमी में अपीलाण्ट को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलाण्ट नामांतरकरण में वारिसान के दर्ज हिस्से में त्रुटि सुधारना चाहता है। विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा नामांतरकरण में हिस्से सजरा अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की। प्रकरण में वारिसान के सजरे संबंधि पक्षकारों में कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि अपीलाण्ट द्वारा नामांतरकरण संख्या 115 में दर्ज भूमियों में से केवल मात्र वर्तमान में जो जमीन है, उसके बारे में ही यह अपील प्रस्तुत की है। अतः ग्राम मनवाखेड़ा तहसील गिर्वा के आराजी संख्या 271 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 272 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 283 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 284 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, आराजी संख्या 285 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 293 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, आराजी संख्या 294 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 295 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 0.3200 हैक्टेयर की सीमा तक नामांतरकरण संख्या 115 में मोती के वारिसान से संबंधित हिस्से की सीमा तक रिमाण्ड किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा वारिसान के हिस्से की जांच कर नियमानुसार नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर